सी. बी. II संख्या 228

लोक-सभा

# सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967

## (संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

(25 मार्च, 1969 को पेश किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 1969 / फाल्गुन, 1890 (शक)

मूल्य : 75 पैसे

# विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| संयुक्त समिति की रचना | iii |
| संयुक्त समिति का प्रतिवेदन | . |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक | 1 |
| **परिशिष्ट एक—** | |
| विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव | 7 |
| **परिशिष्ट दो—** | |
| राज्य सभा में प्रस्ताव | 8 |
| **परिशिष्ट तीन—** | |
| उन संस्थाओं/व्यक्तियों आदि के नाम दर्शाने वाला विवरण जिन से संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए | 9 |
| **परिशिष्ट चार—** | |
| उन पार्टियों/व्यक्तियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया | 10 |
| **परिशिष्ट पांच—** | |
| संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश | 1[illegible] |

## सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति

### समिति की रचना

श्री ए० के० सेन—सभापति

**सदस्य**

**लोक-सभा**

2. श्री के० अनिरुद्धन
3. श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी
4. श्री आर० आर० सिंह देव
5. श्री देवेन्द्र सिंह
6. श्री अनिरुद्ध दीपा
7. श्री श्रीचन्द गोयल
8. श्री आर० एम० हजरनवीस
9. श्री एस० कण्डप्पन
10. श्री बृज भूषण लाल
*11. श्री बैज नाथ कुरील
12. श्री श्रीनिवास मिश्र
13. श्री ही० ना० मुकर्जी
14. श्री अमृत नाहाटा
15. श्री के० नारायण राव
16. श्री एम० नारायण रेड्डी
17. श्री मुहम्मद यूनस सलीम
18. श्री अ० त्रि शर्मा
19. श्रीमती सावित्री श्याम
20. श्री एम० सेतुरामाने
21. श्री एम० आर० शर्मा
22. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
23. श्री विश्वनारायण शास्त्री
24. श्री टी० एम० सेट
25. श्री देवेन्द्र विजय सिंह
26. श्री मुद्रिका सिन्हा
27. श्री जी० विश्वनाथन
28. श्री एस० जेवियर
29. श्री राम सेवक यादव
30. श्री पी० गोविन्द मेनन

---

*श्री माली मरियप्पा के निधन के कारण हुई रिक्तता में 30 जुलाई, 1968 से नियुक्त ।

राज्य सभा

31. श्री शंकरराव बाजीराव बोबडे
32. श्री राम बहादुर सिंह
33. श्री गुलाम हैदर वलिमुहम्मद मोमिन
34. श्री वाई० आदिनारायण रेड्डी
35. श्री कृष्ण कान्त
36. श्री एम० पी० शुक्ल
37. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
38. श्री एम० एच० सैमुअल
39. श्री बी० टी० केम्पाराज
**40. श्री चक्रपाणि शुक्ल
41. श्री डाह्याभाई व० पटेल
42. श्री एन० के० शेजवालकर
43. श्री बालकृष्ण गुप्त
44. श्री सी० अच्युत मेनन
45. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम ।

## वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय
2. श्री एन० डी० पी० नम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय
3. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय
4. श्री जी० एन० सक्सेना, सहायक ड्राफ्ट्समेन, राजभाषा (विधायी) आयोग, विधि मंत्रालय

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द आवला—उपसचिव ।

---

**सरदार रघबीर सिंह पंजहजारी के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दिया, 13 अगस्त, 1968 को नियुक्त ।

# संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक* सम्बन्धी संयुक्त समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर, संयुक्त समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक के साथ उसका प्रतिवेदन पेश करता हूं।

2. यह विधेयक 22 मई, 1967 को लोक सभा में पेश किया गया। विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव विधि मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा 8 मई, 1968 को लोक-सभा में पेश किया गया और उसी दिन स्वीकृत हुआ। (परिशिष्ट एक)

3. राज्य सभा ने उस प्रस्ताव पर 13 मई, 1968 को चर्चा की और उसी दिन प्रस्ताव से सहमत हुई (परिशिष्ट दो)।

4. राज्य सभा से सन्देश लोक-सभा के समाचार भाग 2 दिनांक 16 मई, 1968 में प्रकाशित हुआ।

5. समिति की कुल तेरह बैठकें हुईं।

6. समिति का भावी कार्यक्रम नियत करने के लिए उसकी पहली बैठक 17 मई, 1968 को हुई। समिति ने अपनी बैठक में फैसला किया कि उन संस्थाओं/व्यक्तियों आदि से मौखिक साक्ष्य की सुनवाई की जाय जो समिति के समक्ष अपने विचार रखने के इच्छुक हों और इस प्रयोजनार्थ ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाय समिति ने यह भी फैसला किया कि विधेयक के उपबन्धों पर टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और बार कौंसिल आफ इंडिया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशनों, वाणिज्य और उद्योग मण्डलों और अखिल भारतीय प्रतिनिधि मजदूर संघों के संगठनों को परिपत्र जारी किया जाय। सभापति को प्राधिकार दिया गया कि वह संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापनों की जांच कर यह फैसला करे कि समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए उनमें से किस-किस को बुलाया जाय।

7. विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों आदि से संयुक्त समिति को विधेयक पर 16 ज्ञापन/अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए (परिशिष्ट तीन)।

8. 3 और 4 जुलाई तथा 5, 24, 25 और 26 अक्तूबर, 1968 को हुई समिति की क्रमश: दूसरी, तीसरी, सातवीं से दसवीं बैठकों में समिति ने प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं और सम्बद्ध संगठनों द्वारा दिया गया साक्ष्य सुना। (परिशिष्ट चार)।

9. समिति का प्रतिवेदन पांचवें सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक पेश किया जाना था। चूंकि ऐसा सम्भव नहीं था, समिति ने 3 जुलाई, 1968 को हुई अपनी दूसरी बैठक में फैसला किया कि प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय छठे सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाये जाने के लिए कहा जाय। आवश्यक प्रस्ताव सभा में पेश किया गया और 22 जुलाई, 1968 को स्वीकृत हुआ। 25 अक्तूबर, 1968 को हुई अपनी नवीं बैठक में समिति ने प्रतिवेदन पेश करने का समय 31 मार्च, 1969 तक अग्रेतर बढ़ाये जाने के लिए कहने का फैसला किया जिसके लिए सभा ने 18 नवम्बर, 1968 को अनुमति दी।

10. समिति ने 11 और 12 फरवरी, 1969 को हुई अपनी ग्यारहवीं और बारहवीं बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

11. समिति ने फैसला किया है कि उसके समक्ष दिया गया साक्ष्य मुद्रित करवाया जाय और उसे विस्तृत रूप में दोनों सभाओं के पटलों पर रखा जाय

12. समिति ने यह फैसला भी किया है कि विभिन्न संस्थाओं, निकायों, संगठनों, सरकारी विभागों आदि द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन भी दोनों सभाओं के पटलों पर रखे जाएं और समिति का प्रतिवेदन सभाओं में पेश किये जाने के पश्चात् उन्हें सदस्यों द्वारा देखे जाने के लिए उनकी एक प्रति संसद ग्रन्थालय में रखी जाय।

13. समिति ने 7 मार्च, 1969 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 22 मई, 1967 में प्रकाशित

14. विधेयक में प्रस्तावित मूल परिवर्तनों के विषय में समिति के विचार निम्नलिखित पैराग्राफों में ब्यौरेवार दिये गये हैं ।

15. **खण्ड 3.**—इस खण्ड का उप-खण्ड (क) (ii) अपने नियोजन के अनुक्रम के बाहर कार्य करते हुए सरकार के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा दी गई किसी दुष्कृति के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व से सम्बन्धित है । विधेयक जिस रूप में पेश किया गया है उसमें उप-खण्ड में यह उपबन्ध है कि ऐसी किसी दुष्कृति के लिए सरकार का दायित्व तभी होगा जब दुष्कृति माना जाने वाला कार्य कर्मचारी या अभिकर्ता ने सरकार की ओर से किया हो और सरकार ने उसका अनुसमर्थन किया हो । समिति का विचार है कि यदि सरकार के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा कोई दुष्कर्म अपने नियोजन के अनुक्रम के बाद कार्य करते हुए परन्तु सरकार की ओर से किया गया हो तो उस कार्य का सरकार द्वारा अनुसमर्थन करना, जो दुष्कृति के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराने के लिए एक पूर्व-शर्त है, न्यायोचित नहीं होगा । समिति का यह भी विचार है कि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें सरकार को उसके कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम के बाहर कार्य करते हुए किये गये किसी कार्य का अनुसमर्थन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, यद्यपि ऐसा कार्य कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा सरकार की ओर से न किया गया हो । तदनुसार समिति ने खण्ड 3 के उप-खण्ड (क) (ii) में शब्द 'तथा' के स्थान पर शब्द 'था' रख दिया है ।

खण्ड 3 के उप-खण्ड (ख) (iii) में सरकार द्वारा नियोजित स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किसी भी ऐसी दुष्कृति की बाबत सरकार को उत्तरदायी माना गया है, जहां वह कार्य, जिसके लिए जाने की संविदा की गई हैं, विधिपूर्ण होते हुए भी ऐसी प्रकृति का है कि जब तक कि युक्तियुक्त सतर्कता न बरती जाय, घटनाओं के मामूली अनुक्रम में यह सम्भाव्य है कि वह उसके किए जाने में वैयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को नुकसानकारित हो तथा ऐसी सतर्कता नहीं बरती गई है । इस उप-खण्ड के परन्तुक के अनुसार सरकार ठेकेदार के साथ हस्ताक्षर किये जाने वाले संविदे में इस आशय की स्पष्ट शर्त रख कर दायित्व को ठेकेदार पर डाल सकती है । समिति ने देखा है कि यह परन्तुक विधि आयोग की किसी सिफारिश पर आधारित नहीं है । समिति का विचार है कि सरकार और एक स्वतंत्र ठेकेदार के बीच संविदे में शर्त रख कर तीसरे पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करना सिद्धान्त रूप से सही नहीं है और कि इस परन्तुक के कारण एक गैर-सरकारी व्यक्ति की अपेक्षा, जो कार्य एक स्वतंत्र ठेकेदार को सौंपता है, सरकार की स्थिति अधिक अच्छी होगी । तदनुसार समिति ने खण्ड 3 के उप-खण्ड (ख) (iii) का परन्तुक हटा दिया है

16. **खण्ड 11.**—उप-खण्ड (च)—इसमें संशोधन लघु प्रकार का है और यह विधेयक पेश किये जाने के पश्चात् के घटनाचक्रों के कारण आवश्यक हुआ है ।

इस खण्ड के उप-खण्ड (i) में उपबन्ध है कि शांति भंग होने अथवा सार्वजनिक शांति भंग होने अथवा दंगे अथवा बलवे होने से रोकने या उसे दबाने के लिए अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति के विरुद्ध किन्हीं अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल के सदस्यों और कतिपय अन्य लोक सेवकों द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में सरकार उत्तरदायी नहीं होगी । समिति का विचार है कि दायित्व से ऐसी विमुक्ति के लिए उपरोक्त प्रयोजनों के लिए केवल सदभाव से किये गये कार्यों के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना चाहिए । समिति ने तदनुसार इस खण्ड में संशोधन किया है ।

17. **खण्ड 1 तथा पूरा नाम.**—इसमें संशोधन औपचारिक स्वरूप के हैं ।

18. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाय ।

**नई दिल्ली;**
7 मार्च, 1969

**निर्मल चन्द्र चटर्जी,**
कार्यकारी सभापति,
**संयुक्त सचिब**

1967 का विधेयक संख्या 43

# सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967

(जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया)

(जिन शब्दों के नीचे रेखायें लगी हैं वे समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन उपदर्शित करते हैं और तारक चिन्ह लोप उपदर्शित करते हैं)

दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. (1) यह अधिनियम सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) सरकार के सम्बन्ध में "अभिकर्ता" से (सरकार के कर्मचारी से भिन्न) ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सरकार के लिए कोई कार्य करने के लिए नियोजित होते हुए उस कार्य को करने में सरकार के आदेश या नियंत्रण के अधीन है;

(ख) "सरकार का कर्मचारी" से कोई भी वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(i) संघ की प्रतिरक्षा सेवा या सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, या प्रतिरक्षा से संसक्त कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है; अथवा

(ii) किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, या किसी राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी दायित्व के सम्बन्ध में "सरकार" से अभिप्रेत है—

(i) जहां दुष्कृति सरकार के कर्मचारी द्वारा, जब कि वह संघ के कार्यकलाप के संसग में कार्य कर रहा हो, या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित अभिकर्ता या स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा की जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार;

(ii) जहां दुष्कृति सरकार के कर्मचारी द्वारा, जब कि वह किसी राज्य के कार्यकलाप के संसंग में काम कर रहा हो, या राज्य सरकार द्वारा नियोजित अभिकर्ता या स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा की जाती है, वहां राज्य सरकार;

(घ) सरकार के सम्बन्ध में "स्वतन्त्र ठेकेदार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो सरकार के लिए कोई कार्य करने की संविदा करता है किन्तु जो उस कार्य को करने में सरकार के आदेश या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

सरकार का दुष्कृति में दायित्व ।

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि सरकार किसी भी ऐसी दुष्कृति की बाबत दायी होगी, जो—

(क) सरकार के कर्मचारी द्वारा या सरकार द्वारा नियोजित अभिकर्ता द्वारा तब की गई हो,—

(i) जब वह अपने नियोजन के अनुक्रम में कार्य कर रहा हो; अथवा

(ii) जब वह अपने नियोजन के अनुक्रम के बाहर कार्य कर रहा हो, यदि उस दुष्कृति को गठित करने वाला कार्य कर्मचारी द्वारा या अभिकर्ता द्वारा सरकार की ओर से किया गया था या सरकार द्वारा अनुसमर्थित किया जा चुका है;

(ख) सरकार द्वारा नियोजित स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा, या उसके सेवकों या श्रमिकों में से किसी के द्वारा उस कार्य को करने में, जिसके सरकार के लिए किए जाने की संविदा की गई हो, निम्नलिखित दशाओं में से किसी दशा में (और किसी भी अन्य दशा में नहीं) की गई है, अर्थात्—

(i) जहां सरकार उस कार्य का नियंत्रण ग्रहण कर लेती है जिसको करने के लिए स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा संविदा की गई है;

(ii) जहां सरकार स्वतंत्र ठेकेदार के उस कार्य को प्राधिकृत या अनुसमर्थित कर देती है जिससे वह दुष्कृति गठित होना अभिकथित है;

(iii) जहां वह कार्य, जिसके किए जाने की संविदा की गई है, विधिपूर्ण होते हुए भी ऐसी प्रकृति का है कि जब तक कि युक्तियुक्त सतर्कता न बरती जाए, घटनाओं के मामूली अनुक्रम में यह सम्भाव्य है कि वह उसके किए जाने में वैयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को नुकसान कारित हो तथा ऐसी सतर्कता नहीं बरती गई है;

* * * *

(iv) जहां सरकार उस कार्य को स्वयं करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है;

(V) जहां कोई तत्समय-प्रवृत्त-विधि, सरकार पर उस कार्य को करने में जिसके किए जाने की संविदा की गई है व्यक्तियों या सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आत्यन्तिक कर्त्तव्य अधिरोपित करती है और उस कर्त्तव्य के अनुपालन में असफलता हुई है ।

स्थावर सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी के रूप में सरकार का दुष्कृति में दायित्व ।

4. जहां सरकार किसी स्थावर सम्पत्ति की स्वामी है, या किसी स्थावर सम्पत्ति पर क़ब्जा या अधिभोग रखती है, या उस पर नियंत्रण करती है, वहां सरकार उस कर्त्तव्य के किसी भंग की बाबत जो ऐसी सम्पत्ति के स्वामित्व, क़ब्जा, अधिभोग या नियंत्रण से विधि द्वारा संलग्न हो, उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायी होगी जैसे कि पूर्ण वय और सामर्थ्य वाला प्राइवेट व्यक्ति;

परन्तु जहां ऐसी कोई सम्पत्ति विधि के किसी ऐसे नियम के आधार पर सरकार में निहित होती है, जो सरकार के कार्यों या आशयों पर आश्रित हुए बिना स्वयं प्रवृत्त होता है, वहां सरकार इस धारा के आधार पर केवल इस कारण से कि सम्पत्ति ऐसे निहित हुई है, दुष्कृति में किसी दायित्व के अधीन नहीं होगी, किन्तु इस धारा में उपबन्ध सरकार के तदधीन उस दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जो किसी कालावधि के बारे में हो जो उस समय के पश्चात् की हो जब कि सरकार ने या सरकार के लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी किसी सम्पत्ति का क़ब्जा या नियंत्रण वास्तव में ले लिया हो, या उसे अपने अधिभोग में ले लिया हो ।

खतरनाक वस्तुओं के बाहर निकल पड़ने की बाबत दुष्कृति में सरकार का दायित्व ।

5. किसी ऐसी खतरनाक वस्तु से जो सरकार के क़ब्जे में है, या जिस पर सरकार नियंत्रण करती है, कारित किसी भी वैयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को किसी हानि की बाबत सरकार उसी रीति से और उसी विस्तार तक दायी होगी जैसे कि पूर्ण वय और सामर्थ्य वाला प्राइवेट व्यक्ति वैसी ही, परिस्थितियों में दायी होता, यदि वह ऐसी वस्तु पर क़ब्जा रखता या नियंत्रणकरता होता ।

अपने कर्मचारियों के प्रति कर्तव्यों के भंग के विषय में सरकार का दायित्व ।

6. सरकार दुष्कृति में उन सब दायित्वों के अधीन होगी, जिनके अधीन वह, यदि वह पूर्ण वय और सामर्थ्य वाला प्राइवेट व्यक्ति होती, तो उन कर्तव्यों के भंग के विषय में होती, जो किसी व्यक्ति के अपने सेवकों या अभिकर्ताओं के प्रति किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि के अधीन उनका नियोजक होने के कारण हों;

परन्तु किन्हीं ऐसे कर्तव्यों के भंग से कारित किसी वैयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को किसी नुकसान के बारे में सरकार के किसी कर्मचारी को या सरकार द्वारा विनियोजित किसी अभिकर्ता को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में न्यायालय किसी अन्य तत्समय-प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे कर्मचारी या अभिकर्ता को, चाहे निःशक्तता फायदे के रूप में चाहे प्रतिकर के रूप में या अन्यथा, सरकार द्वारा दी गई या देने के लिए अपेक्षित रकम, यदि कोई हो, ध्यान में रखेगा ।

दायित्व की मात्रा विषयक कानूनी सीमाओं का सरकार के विरुद्ध दावों को भी लागू होना ।

7. कोई अधिनियमिति जो सरकार के कर्मचारी या सरकार द्वारा नियोजित अभिकर्ता की ऐसे कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा दी गई किसी दुष्कृति की बाबत दायित्व की मात्रा को नकारित या सीमित करती है. ऐसी दुष्कृति की बाबत इस अधिनियम के अधीन सरकार के विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही की दशा में सरकार के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार कि वह ऐसे कर्मचारी या अभिकर्ता को लागू हुई होती, यदि सरकार के विरुद्ध की गई कार्यवाही उस कर्मचारी या अभिकर्ता के विरुद्ध की गई कार्यवाही होती ।

सरकार को उपलभ्य प्रतिरक्षाएं ।

8. इस अधिनियम के अधीन सरकार के विरुद्ध की गई किसी भी कार्यवाही में, सरकार प्रतिरक्षा के तौर पर उन अभिवाकों को उठाने की हक़दार होगी जो प्राइवेट व्यक्ति विधि के अधीन उठाने का हक़दार होता, यदि ऐसा ही वाद ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किया गया होता ।

क्षतिपूर्ति और अभिदाय ।

9. जहां कि इस अधिनियम के आधार पर सरकार दुष्कृति में किसी दायित्व के अधीन है वहां क्षतिपूर्ति और अभिदाय से सम्बन्धित कोई विधि किसी ऐसे दायित्व के बारे में जिसके अधीन वह ऐसे हैं, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध ऐसे प्रवर्तनीय होगी, मानो सरकार पूर्ण वय और सामर्थ्य वाली प्राइवेट व्यक्ति हो ।

संघ के सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के बारे में विशेष उपबन्ध ।

10. (1) संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा जब वह उस हैसियत में कर्तव्यारूढ़ हो, या पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा जब वह उस हैसियत में कर्तव्यारूढ़ हो, किया गया कोई कार्य, उसको या सरकार को, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को वैयक्तिक क्षति कारित करने के लिए दुष्कृति में दायित्व के अधीन वहां तक नहीं करेगा जहां तक कि वह मृत्यु या वैयक्तिक क्षति ऐसे किसी बात के कारण हो जो उस अन्य व्यक्ति द्वारा उस समय सहन की गई हो जब कि वह संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य अथवा, यथास्थिति, पुलिस बल का सदस्य हो, यदि—

(क) उस समय जब कि उस अन्य व्यक्ति द्वारा वह बात सहन की गई है, वह संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य की हैसियत में या पुलिस बल के सदस्य की हैसियत में कर्तव्यारूढ़ है या यद्यपि कर्तव्यारूढ़ नहीं है तो भी किसी ऐसी भूमि, परिसर, पोत, वायुयान या यान पर हो जो उस समय संघ के सशस्त्र बलों के प्रयोजनों के लिए या, यथास्थिति, पुलिस बल के प्रयोजनों के लिए काम में लाया जा रहा है ; और

(ख) सरकार यह प्रमाणित करे कि उसका उस बात को सहन करना उस बल के, जिसका कि वह सदस्य है, सदस्यों की मृत्यु या निःशक्तता विषयक किसी विधि या स्कीम के अधीन किसी परितोष का हकदार बनाने के प्रयोजनों के लिए सेवा से सम्बन्धित माना गया है या माना जाएगा ।

परन्तु यह उपधारा संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य को या पुलिस बल के सदस्य को दुष्कृति में दायित्व से किसी ऐसे मामले में छूट नहीं देगी, जिसमें न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह कार्य उन बलों या उस बल के सदस्य के नाते उसके कर्तव्यों में निष्पादन से संसक्त नहीं था ।

(2) संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य या पुलिस बल के सदस्य द्वारा सहन की गई किसी बात के कारण मृत्यु या वैयक्तिक क्षति के लिए सरकार के विरुद्ध दुष्कृति के लिए कोई कार्यवाही न होगी, यदि—

(क) वह बात उसके द्वारा उपर्युक्त जैसी किसी भूमि, परिसर, पोत, वायुयान या यान की प्रकृति या दशा के परिणामस्वरूप या उन बलों या उस बल के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी सज्जा या प्रदायों की प्रकृति या दशा के परिणामस्वरूप सहन की गई है ; तथा

(ख) सरकार पूर्ववर्ती उपधारा में यथावर्णित प्रमाणित करे ;

और न सरकार के कर्मचारी का कोई कार्य उसको मृत्यु या वैयक्तिक क्षति के लिए दुष्कृति में दायित्व के अधीन वहां तक करेगा जहां तक कि वह मृत्यु या वैयक्तिक क्षति संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या पुलिस बल के सदस्य द्वारा सहन की गई किसी ऐसी बात के कारण हो, जिसके बारे में उपर्युक्त शर्तें पूरी होती हों ।

(3) सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आफिसर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि यह तथ्य है कि—

(क) कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट अवसर पर संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य की हैसियत में या पुलस बल के सदस्य की हैसियत में कर्तव्य रूढ़ था या नहीं था ; अथवा

(ख) किसी विशिष्ट समय पर कोई भूमि, परिसर, पोत, वायुयान, यान, सज्जा या प्रदाय उन बलों के या उस बल के प्रयोजनों के लिए काम में लाए जाते थे या नहीं लाए जाते थे,

एक प्रमाणपत्र उसका तथ्य होना प्रमाणित करते हुए जारी कर सकेगा और कोई ऐसा प्रमाणपत्र इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस तथ्य के बारे में निश्चायक होगा जिसे प्रमाणित किया गया है।

(5) इस धारा में "सरकार" शब्द से अभिप्रेत है,—

(क) संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य के या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित पुलिस बल के सदस्य के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार;

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित पुलिस बल के सदस्य के सम्बन्ध में, वह राज्य सरकार।

11. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित के बारे में सरकार को दायी नहीं बनाएगी— व्यावृत्तियां।

(क) कोई राज्य-कार्य;

(ख) संविधान की सप्तम अनुसूची में प्रथम सूची की प्रविष्टियों 10, 11, 12, 13, 14, 15, और 16 में प्रगणित मामलों में से किसी के सम्बन्ध में अपने कृत्यों के निर्वहन में सरकार द्वारा किया गया कोई कार्य;

(ग) संसद् के सदनों का आह्वान करने और उनका सत्रावसान करने, लोक सभा का विघटन करने, किसी विधेयक के लिए अनुमति देने या अनुमति विधारित करने, किसी विधेयक को सदनों को उस विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबन्धों पर पुनर्विचार करने के लिए लौटाने, या संविधान के अधीन कोई उद्घोषणा जारी करने के संबन्ध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में किया गया कोई भी कार्य;

(घ) राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों का आह्वान करने, या उसका या उनका सत्रावसान करने, विधान सभा का विघटन करने, किसी विधेयक के लिए अनुमति देने या अनुमति विधारित करने, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करने, या किसी विधेयक को सदन या सदनों को उस विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबन्धों पर पुनर्विचार करने के लिए लौटाने के सम्बन्ध में किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन में किया गया कोई कार्य;

(ङ) संविधान के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के अधीन किया गया कोई कार्य;

1947 का 16
1968 का 34

(च) शत्रु से व्यापार (आपाती उपबन्धों का चालू रहना) अधिनियम, 1947 या शत्रु-सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई भी कार्य;

(छ) सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के या निपुणता के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए संघ में निहित शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य;

(ज) संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा सक्रिय सेवा पर रहते हुए किया गया कोई कार्य;

(झ) कोई कार्य जो शांति के भंग को या लोक प्रशांति में विघ्न को या बलवे या दंगे को निवारित करने या दबाने के लिए या लोक सम्पत्ति के विरुद्ध किन्हीं अपराधों को निवारित करने के लिए——

(i) पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा, अथवा

(ii) किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसका यह कर्तव्य है कि वह किसी क्षेत्र या स्थान में शांति और व्यवस्था बनाए रखे या जो किसी क्षेत्र या स्थान के सम्बध में गारद, संतरी, पेट्रोल, पहरा और निगरानी या अन्य ऐसे ही कर्तव्य में लगा हुआ है,

सद्भावपूर्वक किया गया है ;

(ञ) किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया या किया जाने को आदिष्ट कोई भी कार्य, जब कि वह अपने में निहित न्यायिक प्रकृति के किन्हीं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा हो या निर्वहन करने का तात्पर्य रखता हो;

(ट) अपने में निहित न्यायिक प्रकृति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए या निर्वहन करने का तात्पर्य रखते हुए किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य व्यक्ति के विधिपूर्ण वारन्टों या आदेशों के निष्पादन के संसंग में ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उन वारन्टों या आदेशों का निष्पादन करने के लिए आबद्ध हो, किया गया कोई कार्य;

(ठ) कोई ऐसा कार्य जिसको भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898, या किसी अन्य तत्समयप्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन उन्मुक्ति अनुदत्त हो; 1885 का 13 1898 का 6

(ड) कोई कार्य जिसके बारे में भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन या किसी अन्य तत्समय-प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन उपचार उपबन्धित हैं; 1890 का 9

(ढ) ऐसे कार्य द्वारा कारित कोई वैयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को कोई नुकसान जिसका अपनी प्रकृति से ही ऐसी क्षति या नुकसान कारित करना घटनाओं के मामूली अनुक्रम में संभाव्य हो, यदि उस कार्य को करना किसी तत्समय-प्रवृत्त अधिनियमिति द्वारा प्राधिकृत हो;

(ण) मानहानि, विद्वेषपूर्ण अभियोजन या विदेषपूर्ण गिरफ्तारी से उद्भूत कोई दावाई

(त) किसी भी करन्तीन विधि के प्रवर्तन से उद्भूत कोई दावा;

(थ) विदेश में उद्भूत कोई दावा।

लम्बित कार्यवाहियां।

12. इस अधिनियम के उपबन्ध सरकार के द्वारा या विरुद्ध की गई किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों पर प्रभाव नहीं डालेंगे, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संस्थित की गई हैं और ऐसी कार्यवाहियों को इस तरह निपटाया जाएगा, मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

1855 के अधिनियम 13 का संशोधन

13. प्राणान्तक दुर्घटना अधिनियम, 1855, में धारा 4 में 'शब्द "व्यक्ति" राजनीतिक और निगमित निकायों को लागू होगा' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :——

'शब्द "व्यक्ति" राजनीतिक और निगमित निकायों और सरकार को लागू होगा।'

# परिशिष्ट 1

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

**विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये लोक-सभा में प्रस्ताव**

"कि दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् श्री के० अनिरुधन, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री रा० रा० सिंह देव, श्री देविन्दर सिंह, श्री अनिरुद्ध दीपा, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री आर० एम० हजरनवीस, श्री एस० कण्डप्पन, श्री बृज भूषण लाल, श्री माली मरियप्पा, श्री श्रीनिवास मिश्र, श्री ही० ना० मुखर्जी, श्री अमृत नाहाटा, श्री के० नारायण राव, श्री एम० नारायण रेड्डी, श्री मुहम्मद यूनस सलीम, श्री अ० प्रि० शर्मा, श्रीमती सावित्री श्याम, श्री अ० कु० सेन, श्री एन० सेतुरामाने, श्री एम० आर० शर्मा, श्री नारायण स्वरूप शर्मा, श्री विश्वनारायण शास्त्री, श्री टी० एम० सेठ, श्री देवेन्द्र विजय सिंह, श्री मुद्रिका सिन्हा, श्री जी० विश्वनाथन, श्री एम० जेवियर, श्री राम सेवक यादव, श्री पी० गोविन्द मेनन और राज्य सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

# परिशिष्ट 2

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 3)

**राज्य सभा में प्रस्ताव**

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि राज्य सभा दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाये :--

1. श्री एस0 बी0 बोबडे
2. श्री राम बहादुर सिंह
3. श्री गुलाम हैदर वली मुहम्मद मोमिन
4. श्री वाई0 आदिनारायण रेड्डी
5. श्री कृष्ण कान्त
6. श्री एम0 पी0 शुक्ल
7. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
8. श्री एम0 एच0 सैमुअल
9. श्री बी0 टी0 कैम्पाराज
10. सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी
11. श्री डाह्या भाई वी0 पटेल
12. श्री एन0 के0 शेजवालकर
13. श्री बाल कृष्ण गुप्त
14. श्री सी0 अच्युत मेनन
15. श्री जी0 पी0 सोमसुन्दरम ।"

## परिशिष्ट 3

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 7)

**उन संस्थाओं व्यक्तियों आदि के नाम बताने वाला विवरण जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए**

| क्रमांक | जिस से प्राप्त हुआ | की गई कार्यवाही |
| --- | --- | --- |
| 1. | इंडियन प्रोड्यूस संस्था, कलकत्ता | सदस्यों को भेजा गया तथा 3-7-68 को साक्ष्य लिया गय। |
| 2. | उच्चतम न्यायालय विधि संस्था, नई दिल्ली | सदस्यों को भेजा गया तथा 3-7-68 को साक्ष्य लिया गया। |
| 3. | अखिल भारतीय अनाज विक्रेता संस्थाओं का महासंघ, नई दिल्ली | सदस्यों को भेजा गया तथा 4-7-68 को साक्ष्य लिया गया। |
| 4. | नाग विदर्भ वाणिज्य मंडल, नागपुर | सदस्यों को भेजा गया। |
| 5. | उत्तर प्रदेश विधि परिषद् इलाहाबाद | सदस्यों को भेजा गया। |
| 6. | दिल्ली हिन्दुस्तानी वाणिज्य संस्था, दिल्ली | सदस्यों को भेजा गया। |
| 7. | निगमित विधि संस्था, कलकत्ता | तदेव |
| 8. | भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता | तदेव |
| 9. | बिहार सरकार | तदेव |
| 10. | नागालैंड सरकार | तदेव |
| 11. | मध्य प्रदेश सरकार | तदेव |
| 12. | मैसूर सरकार | तदेव |
| 13. | महाराष्ट्र सरकार | तदेव |
| 14. | केरल सरकार | तदेव |
| 15. | राजस्थान सरकार | तदेव |
| 16. | पांडिचेरी सरकार | तदेव |

## परिशिष्ट 4

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 8)

**उन दलों/व्यक्तियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया**

| क्रमांक | पार्टियों के नाम | जिन तारीखों को साक्ष्य लिया गया |
|---|---|---|
| 1. | इंडियन प्रोड्यूस एसोसियेशन, कलकत्ता | 3 जुलाई, 1968 |
| 2. | उच्चतम न्यायालय विधि संस्था, नई दिल्ली | 3 जुलाई, 1968 |
| 3. | अखिल भारतीय अनाज विक्रेता संस्था का महासंघ, नई दिल्ली | 4 जुलाई, 1968 |
| 4. | निम्नलिखित के प्रतिनिधि<br>(एक) रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)<br>(दो) गृह-कार्य मंत्रालय<br>(तीन) वाणिज्य मंत्रालय<br>(चार) वित्त मंत्रालय<br>} इकट्ठे बुलाये गये | 5 अक्तूबर, 1968 |
| 5. | श्री ए0 ए0 अंसारी, प्रतिकुलपति, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद | 24 अक्तूबर, 1968 |
| 6. | श्री एम0 सी0 सीतलवाद, संसद् सदस्य | 24 अक्तूबर, 1968 और 26 अक्तूबर, 1968 |
| 7. | श्री के0 एल0 मिश्र, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश | 25 अक्तूबर, 1968 |
| 8. | श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास, प्रवर अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय | 26 अक्तूबर, 1968 |
| 9. | श्री सी0 के0 दफ्तरी, भारत के महान्यायवादी | 26 अक्तूबर, 1968 |

## परिशिष्ट 5

**सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही—सारांश**

### 1 प्रथम बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 17 मई, 1968 को 11—00 से 11—45 बजे तक हुई।

### उपस्थित

श्री एम० एच० सैमुग्रल—पीठासीन

### सदस्य

**लोक-सभा**

2. श्री के० ग्रनिरुधन
3. श्री ग्रनिरुद्ध दीपा
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री ग्रार० एम० हजरनवीस
6. श्री श्रीनिवास मिश्र
7. श्री ग्रमृत नाहाटा
8. श्री के० नारायण राव
9. श्री एम० नारायण रेड्डी
10. श्रीमती सावित्री श्याम
11. श्री एम० ग्रार० शर्मा
12. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
13. श्री टी० एम० सेठ
14. श्री मुद्रिका सिन्हा

**राज्य सभा**

15. श्री राम बहादुर सिंह
16. श्री कृष्ण कान्त
17. श्री एम० पी० शुक्ल
18. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
19. श्री बी० टी० केम्पराज
20. श्री डाह्या भाई वी० पटेल
21. श्री बाल कृष्ण गुप्त

**वैधानिक परामर्शदाता**

श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री —**वैधानिक उप-परामर्शदाता, विधि मंत्रालय**

**सचिवालय**

श्री मेहर चन्द चावला—**उप-सचिव**

2. समिति के सभापति श्री अ० कु० सेन के अनुपस्थित होने के कारण श्री एम० एच० सैम्युल को नियम 258(3) के अन्तर्गत बैठक के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित किया गया।

3. थोड़ी चर्चा के पश्चात् समिति ने सार्वजनिक निकायों, संगठनों तथा संस्थाओं से विधेयक पर 30 जून, 1968 तक ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रैस विज्ञप्ति (परिशिष्ट 1) जारी करने का निश्चय किया।

4. समिति ने निम्नलिखित पत्र जारी करने का भी निश्चय किया :—

(क) सभी राज्य सरकारों / संघ-राज्य-क्षेत्र की सरकारों के मुख्य सचिवों को एक परिपत्र (परिशिष्ट 2) ; और

(ख) केन्द्र तथा राज्यों में बार काउन्सिलों और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की बार एसोसियेशनों, वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों और अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूर संघों के संगठनों को एक परिपत्र (परिशिशष्ट 3)

5. समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि विधि मंत्रालय उसके पास एक टिप्पणी भेजे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाये :—

(क) भारत में दुष्कृति में राज्य के दायित्व के बारे में वर्तमान स्थिति ;

(ख) क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट, 1947 बनाने के बाद ब्रिटेन में स्थिति में हुए परिवर्तनों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन तथा अन्य देशों की तुलनात्मक स्थिति ;

(ग) दुष्कृति सम्बधी वर्तमान स्थिति में किस सीमा तक रुपभेद करने का विधेयक में प्रस्ताव है ;

(घ) इस बारे में विधि आयोग की सिफारिशों को किस सीमा तक विधेयक में शामिल नहीं किया गया है ;

(ङ) 'दुष्कृति' शब्द का अभिप्राय ; और

(च) श्रीमती विद्यावती और श्री रुलिया राम के मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों का सारांश और इन विनिर्णयों में उठाई गई बातों को यह विधेयक किस हद तक पूरा करता है।

6. समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि उसे निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध किये जायें :—

(एक) दुष्कृति में राज्य के दायित्व के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) अद्यतन संशोधित रूप में ब्रिटेन का क्राउन प्रेसीडिंग्स एक्ट, 1947

(तीन) राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती विद्यावती के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला—1962—अनुपूरक 2 एस० सी० आर० 987

(चार) रुलिया राम बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला—1965, 1 एस० सी० ए० 809

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने टिप्पणी और उपरोक्त दस्तावेज देने का वचन दिया।

7. समिति ने सभापति श्री अ०कु० सेन को प्राधिकृत किया कि वह मौखिक साक्ष्य के लिए पक्षों का चयन उनसे लिखित ज्ञापन प्राप्त हो जाने के बाद करें।

8. समिति ने निश्चय किया कि मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए उसकी बैठकें 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई, 1968 तक प्रतिदिन 10—00 बजे से होंगी।

8. तत्पश्चात समिति स्थगित हुई।

---

## अनुबन्ध एक

### लोक-सभा सचिवालय

### प्रेस विज्ञप्ति

सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने आज अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि जो सार्वजनिक निकाय, संगठन और संस्थाएं समिति के विचारार्थ विधेयक पर ज्ञापन भेजना चाहती हों वे उन्हें 30 जून, 1968 को अथवा उससे पहले सचिव, लोक-सभा, संसद् भवन, नई दिल्ली को भेज दें। यदि सम्भव हो तो ऐसे ज्ञापनों की 60 प्रतियां भेजी जायें तो अच्छा होगा। जो ज्ञापन समिति को भेजा जायेगा वह समिति के रिकार्ड का भाग होगा और उसे बिलकुल गोपनीय रखा जाना चाहिए, और किसी को परिचालित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इस प्रकार की कार्यवाही समिति का विशेषाधिकार भंग करना मानी जायेगी।

2. जो व्यक्ति ज्ञापन के अलावा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी देना चाहते हों, उनसे निवेदन है कि वे समिति के विचारार्थ उस सम्बन्ध में लोक-सभा सचिवालय को सूचित कर दें।

3. सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967, लोक-सभा में पेश किये गये रूप में, दिनांक 22 मई, 1967, के भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खंड 2 में प्रकाशित हुआ था।

4. मौखिक साक्ष्य की सुनवाई के लिये समिति की बैठकें नई दिल्ली में बुधवार, 3 जुलाई, 1968 से होंगी।

नई दिल्ली;
दिनांक 17 मई, 1968
संख्या 16/3/सी ii/68 17 मई, 1968/27 वैशाख, 1890 (शक)

प्रति समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, नई दिल्ली की जानकारी के लिये प्रेषित।
निवेदन है कि आकाशवाणी से लगातार तीन दिन इसको प्रसारित किया जाये।

मेहर चन्द चावला,
उप सचिव।

# अनुबन्ध दो

डाक प्रमाणित

लोक-सभा सचिवालय

संसद् भवन,
नई दिल्ली—1.

संख्या 16/3/सी II /68 17 मई, 1968/27 वैशाख, 1890 (शक)

प्रेषक

श्री मेहर चन्द चावला
उप-सचिव ।

सेवा में

सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय : सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बधी संयुक्त समिति ।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश मिला है कि सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने आज अपनी बैठक में निर्णय किया कि सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य-क्षेत्रों को पत्र लिखे जायें कि यदि वे चाहें तो समिति के विचारार्थ सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 के उपबधों के बारे में अपने टिप्पण अथवा सुझाव भेज दें जिससे कि वे अधिक से अधिक 30 जुन, 1968 तक इस सचिवालय में पहुंच जाये ?

2. सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967, लोक सभा में पेश किये गये रूप में, दिनांक 22 मई, 1967 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खंड 2 में प्रकाशित हुआ था ।

3. तथापि, विधेयक की एक प्रति देखने के लिये इस पत्र के साथ भेजी जा रही है ।

4. यदि कोई टिप्पण अथवा सुझाव भेजे जाय तो आपसे निवेदन है कि यदि सम्भव हो तो संयुक्त समिति के सदस्यों को देने के लिये उसकी 60 प्रतियां इस सचिवालय को भेजी जायें ।

भवदीय,
ह: मेहर चन्द चावला,
उप-सचिव ।

संलग्न पत्र : उपरोक्त

# अनुबन्ध ३

डाक प्रमाणित

## लोक-सभा सचिवालय

संसद् भवन,
नई दिल्ली-1

संख्या 16/3/सीii/68 — 17 मई, 1968/27 वैशाख, 1890 (शक)

प्रेषक

श्री मेहर चन्द चावला
उप सचिव।

सेवा में

विषय : सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 विषयक संयुक्त समिति।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश मिला है कि सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 विषयक संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने अपनी दिनांक 17 मई, 1968 की बैठक में यह निश्चय किया है कि केंद्रीय तथा राज्यीय विधिज्ञ परिषदों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की विधिज्ञ संस्थाओं, वाणिज्य और उद्योग मण्डलों तथा अखिल भारतीय प्रतिनिधि मजदूर संघों के संगठनों को यह लिखा जाये कि वे, यदि वे ऐसा चाहें तो, 30 जून, 1968 तक इस सचिवालय को समिति के विचार के लिये, सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 के उपबन्धों के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां या सुझाव भेजें।

2. समिति ने यह भी निश्चय किया कि वे यदि चाहें तो, समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी दे सकते हैं।

3. समिति की बैठकें मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये 3 से 6 जुलाई, 1968 तक नई दिल्ली में होंगी।

4. सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 लोक-सभा में पेश किये गये रूप में भारत के दिनांक 22 मई, 1967 के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 2 में प्रकाशित हुआ था। फिर भी विधेयक की एक प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

5. यदि कोई टिप्पणियां या सुझाव भेजे जायें, तो संयुक्त समिति के सदस्यों में परिचालन के लिये यदि उनकी 60 प्रतियां भेजी जायें तो अच्छा होगा।

6. समिति के समक्ष साक्ष्य देने के सम्बन्ध में आपके प्रतिनिधियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा।

7. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
ह०. मेहर चन्द चावला,
उप-सचिव।

संलग्न पत्र: उपरोक्त

## दो

## दूसरी बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 3 जुलाई, 1968 को 10-00 बजे से 13-10 बजे तक हुई :

### उपस्थित

श्री एम० एच० सैमुग्रल —पीठासीन

#### सदस्य

#### लोक-सभा

2. श्री रा० रा० सिंह देव
3. श्री ग्रनिरुद्ध दीपा
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री ग्रार० एम० हजरनवीस
6. श्री एस० कण्डप्पन
7. श्री बृज भूषण लाल
8. श्री श्री निवासमिश्र
9. श्री ग्रमृत नहाटा
10. श्री मुहम्मद यूनस सलीम
11. श्री ग्र० त्रि० शर्मा
12. श्रीमती सावित्री श्याम
13. श्री एम० ग्रार० शर्मा
14. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
15. श्री विश्वनारायण शास्त्री
16. श्री टी० एम० सेठ
17. श्री राम सेवक यादव

#### राज्य सभा

18. श्री एस० वी० बोबडे
19. श्री राम बहादुर सिंह
20. श्री वाई० ग्रधिनारायण रेड्डी
21. श्री कृष्ण कान्त
22. श्री एम० पी० शुक्ल
23. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
24. श्री बी० टी० केम्पराज
25. सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी
26. श्री एन० के० शेजवालकर
27. श्री डाह्याभाई वी० पटेल
28. श्री बालकृष्ण गुप्त
29. श्री सी० ग्रच्युत मेनन

## वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया——**सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय**
2. श्री आर० वी० एस० पेरीशास्त्री, **वैधानिक उप परामर्शदाता, विधि मंत्रालय**
3. श्री एस० वी० सुब्बा राव, **अटैची, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय**

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला ——**उप-सचिव।**

समिति के सभापति श्री अशोक कुमार सेन की अनुपस्थिति में, श्री एम० एच० सैम्युअल को नियम 258(3) के अधीन बैठक के लिये सभापति का कार्य करने के लिये चुना गया।

2. सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 विषयक संयुक्त समिति की दिनांक 17 मई, 1968 को हुई पहली बैठक में किये गये निर्णयों के अनुसरण में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें सार्वजनिक निकायों, संगठनों और संस्थाओं से 30 जून, 1968 तक ज्ञापन आमंत्रित किये गये तथा सभी राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, केन्द्रीय तथा राज्यीय विज्ञिज्ञ परिषदों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की विज्ञिज्ञ संस्थाओं, वाणिज्य और उद्योग मण्डलों तथा अखिल भारतीय प्रतिनिधि मजदूर संघों के संगठनों को परिपत्र जारी किये गये जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे दिनांक 30 जून, 1968 तक विधेयक के उपबन्धों के विषय में अपनी टिप्पणियां भेजें। उन परिपत्रों में यह भी कहा गया था कि वे, यदि चाहें तो, मौखिक साक्ष्य भी दें।

प्रेस विज्ञप्ति और पत्रों के उत्तर में निम्नलिखित संगठनों आदि से टिप्पणियां/ज्ञापन प्राप्त हुए और उन्हें संयुक्त समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया :

(1) भारतीय उत्पाद संघ, कलकत्ता।
(2) सर्वोच्च न्यायालय विज्ञिज्ञ संस्था, नई दिल्ली।
(3) नाग विदर्भ वाणिज्य मण्डल, नागपुर।
(4) फैड्रेशन आफ आल इण्डिया फूड-ग्रेन डीलर्स एसोसियेशनस्, दिल्ली।
(5) विज्ञिज्ञ परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(6) दिल्ली-हिन्दुस्तानी मर्केनटाइल एसोसियेशन, दिल्ली।
(7) मैसूर सरकार।
(8) इनकार्परेटिड लॉ सोसाइटी आफ कलकत्ता।

सभापति ने बताया कि निम्नलिखित दलों को जो मौखिक साक्ष्य देना चाहते थे मौखिक साक्ष्य देने के लिए संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया।

(1) भारतीय उत्पाद संघ, कलकत्ता।
(2) सर्वोच्च न्यायालय विज्ञिज्ञ संस्था, नई दिल्ली।
(3) फेड्रेशन आफ ऑल इण्डिया फूड-ग्रेन डीलर्स एसोसियेशनस्, दिल्ली।

पहली दो पार्टियां, 3 जुलाई को समिति के समक्ष पेश होंगी तथा तीसरी पार्टी 4 जुलाई 1968 को पेश होगी।

समिति ने अपनी पहली बैठक में यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि विधि मंत्रालय को विधेयक से सम्बद्ध कुछ कागजात समिति को भेजने के लिये कहा जाये। तदनुसार, विधि मंत्रालय ने निम्नलिखित कागजात भेजे जिन्हें संयुक्त समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया :

1. विधि आयोग की रिपोर्ट
2. भारत और इंगलैंड में दुष्कृति सम्बन्धी सरकारी दायित्व के क्षेत्र में हुई हाल की घटनाओं पर एक नोट।
3. एक नोट कि दुष्कृति में सरकार के दायित्व की वर्तमान स्थिति में सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 से कितनी फेर-बदल होगी और विधेयक में विधि आयोग की सिफारिशों का किस सीमा तक समावेश नहीं होगा।
4. "दुष्कृति" अभिव्यक्ति के अभिप्रार्थ के विषय में एक नोट।

5. रुलिया राम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फसले की एक प्रति ।

6. विद्यावती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की एक प्रति ।

7. क्राउन प्रोसीडिंगस् एक्ट, 1947 की एक प्रति ।

3. सभापति ने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने यह सुझाव दिया है कि विधेयक के महत्व को देखते हुये राज्य सरकार की टिप्पणियां भेजने की अन्तिम तिथि को 15 अगस्त, 1968 तक बढ़ा दिया जाये ताकि राज्य सरकार विधेयक की सूक्ष्म जांच कर सके। समिति ने विधेयक के सम्बन्ध में टिप्पणियां और ज्ञापन भेजने की तिथि को 14 अगस्त, 1968 तक बढ़ाने का निश्चय किया और यह इच्छा व्यक्त की कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सार्वजनिक निकायों, संगठनों, विधिज्ञ परिषदों, संस्थाओं आदि को तिथि बढ़ाने की सूचना दे दी जाये ।

4. समिति ने, जैसा कि सदस्यों को पहले ही बताया गया था, मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये 3 और 4 जुलाई, 1968 को बैठने तथा संशोधनों की सूचना देने के लिये भावी कार्यक्रम निश्चित करने और विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिये 5 जुलाई, 1968 को बैठने और 6 जुलाई, 1968 के लिये निर्धारित बैठक को मन्सूख करने का भी निश्चय किया ।

5. सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि यदि समिति विधेयक के सभी चरणों पर पूरा विचार नहीं करेगी तथा चालू अन्तरिम सत्र की अवधि में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं देगी तो उसको सदन के शीतकालीन सत्र तक समय बढ़ाने के लिये मांग करनी पड़ेगी क्योंकि प्रस्ताव के अनुसार रिपोर्ट पेश करने की अन्तिम तिथि अगले सत्र के पहले सप्ताह का अन्तिम दिन है । ज्ञापन की पावती की तिथि को 14 अगस्त, 1968 तक बढ़ा दिये जाने के कारण समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन के शीतकालीन सत्र के अन्तिम दिन पेश करने के सम्बन्ध में समय बढ़ाने की मांग करने का निश्चय किया । उन्होंने सभापति को उसके लिये भी प्रधिकृत किया कि वह यह बात अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लायें जैसा कि अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 79(2) के अन्तर्गत अवेक्षित हैं । उसने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री श्रीचन्द गोयल को, अगले सत्र के प्रथम दिन अर्थात् 22 जुलाई, 1968 को समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सभा में पेश करने का अधिकार दे दिया ।

6. समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि विधि मंत्रालय समिति को 4 जुलाई, 1968 तक एक नोट दे जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा के दौरान या सेवा के बाहर जो दुष्कृतिपूर्ण कृत्य किये गये हैं उनका ब्यौरा हो ।

7. निम्नलिखित साक्षियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया । इनके द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पहले सभापति ने अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया ।

1. श्री वी० एस अगरवाल
श्री आर० एस० शर्मा } भारतीय उत्पाद संघ, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।

(10.15 बजे से 11.15 बजे तक)

2. श्री सरदार बहादुर सहारिया, सचिव सर्वोच्च न्यायालय विधिज्ञ संस्था, नई दिल्ली ।

(11.20 बजे से 13.09 बजे तक)

8. साक्ष्य का सविषय रिकार्ड रखा गया ।

9. इसके बाद समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 4 जुलाई, 1968 को 10.00 बजे फिर बैठने के लिये उठ गई ।

---

3

## तीसरी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 4 जुलाई, 1968 को 10.00 से 11.25 बजे तक हुई ।

### उपस्थित

श्री एम० एच० सैमुअल—पीठासीन

### सदस्य

#### लोक-सभा

2. श्री के अनिरुधन

3. श्री आर० आर० सिंह देव

4. श्री अनिरुद्ध दीपा
5. श्री श्रीचन्द गोयल
6. श्री आर० एम० हजरनवीस
7. श्री एस० कण्डप्पन
8. श्री बृज भूषण लाल
9. श्री श्रीनिवास मिश्र
10. श्री अमृत नाहाटा
11. श्री एम० नारायण रेड्डी
12. श्री अ० वि० शर्मा
13. श्रीमती सावित्री श्याम
14. श्री एम० आर० शर्मा
15. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
16. श्री टी० एम० सेठ
17. श्री राम सेवक यादव

**राज्य सभा**

18. श्री एस० बी० बोबडे
19. श्री राम बहादुर सिंह
20. श्री वाई० आदिनारायण रेड्डी
21. श्री कृष्ण कान्त
22. श्री एम० पी० शुक्ल
23. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
24. सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी
25. श्री डाह्याभाई वी० पटेल
26. श्री एन० के० शेजवालकर
27. श्री बाल कृष्ण गुप्त
28. श्री सी० अच्युत मेनन

**वैधानिक परामर्शदाता**

1. श्री आर० वी० एस० पेरी–शास्त्री—अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय
2. श्री एस० वी० सुभा राव, अटैची, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव ।

2. समिति के सभापति श्री अ० कु० सेन के अनुपस्थित होने के कारण नियम 258 (3) के अन्तर्गत श्री एम० एच० सेम्युल को सभापति के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया ।

3. समिति ने निश्चय किया कि रेलवे, गृहकार्य, इस्पात, खान तथा धातु स्वास्थ्य आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये ताकि वे सरकारी कर्मचारियों की दुष्कृतियों के बारे में विधेयक के अधीन सरकार के दायित्व के प्रश्न पर समिति के समक्ष प्रकाश डालें ।

4. तत्पश्चात् निम्नलिखित साक्ष्यदाता ने साक्ष्य दिया। इससे पहले कि वह साक्ष्य दें, सभापति ने अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 58 की ओर उनका ध्यान दिलाया :

श्री भानी राम गुप्त,
महा सचिव,
अखिल भारतीय अनाज विक्रेता संस्था की फैडरेशन, दिल्ली
(10.30 से 11.10 बजे)।
साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

5. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विधि मंत्रालय उसे एक टिप्पणी प्रस्तुत करे जिसमें सरकारी कर्मचारियों के कामों के सरकार द्वारा अनुसमर्थन किये जाने के प्रश्न पर प्रकाश डाला जाये।

6. इसके पश्चात् हुई सामान्य चर्चा के दौरान सदस्यों ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या यह ब्रिटिश सिद्धान्त कि सम्राट पर उसके अपने न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, भारत पर भी लागू है जहां कि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति, न्यायालय और विधान मंडल की व्यवस्था रखी गई है और फ्रांसीसी कानून में इसी सम्बन्ध में क्या स्थिति है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि अपने कर्मचारियों के दुष्कृत्यों के लिए सरकार के दायित्व को ध्यान में रखते हुए 'राज्य के सार्वभौमिक कृत्यों' का परिणाम संक्षेप में क्या है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विधि मंत्रालय उपरोक्त बातों के बारे में उससे एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करे।

7. तत्पश्चात् समिति 5 जुलाई, 1968 को 11.00 बजे पुनः बैठक करने का निश्चय कर स्थगित हुई।

---

## चार

## चौथी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 5 जुलाई, 1968 को 11.00 बजे से 12.45 बजे तक हुई।

### उपस्थित

श्री एम० एच० सैमुअल—**पीठासीन**

### सदस्य

### लोक-सभा

2. श्री आर० आर० सिंह देव
3. श्री अनिरुद्ध दीपा
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री एस० कंडप्पन
6. श्री बृज भूषण लाल
7. श्री श्रीनिवास मिश्र
8. श्री अमृत नाहाटा
9. श्री एम० नारायण रेड्डी
10. श्री मुहम्मद यूनस सलीम
11. श्री अ० त्रि० शर्मा
12. श्रीमती सावित्री श्याम
13. श्री एम० आर० शर्मा
14. श्री नारायण स्वरूप शर्मा

15. श्री विश्वनारायण शास्त्री
16. श्री टी० एम० सेठ
17. श्री राम सेवक यादव

राज्य सभा

18. श्री एस० बी० बोबडे
19. श्री राम बहादुर सिंह
20. श्री वाई० आदिनारायण रेड्डी
21. श्री कृष्ण कान्त
22. श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल
23. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
24. श्री बी० टी० केम्पराज
25. श्री डाह्याभाई वी० पटेल
26. श्री एन० के० शेजवालकर
27. श्री बालकृष्ण गुप्त
28. श्री सी० अच्युत मेनन

## वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय
2. श्री एन० डी० पी० नम्बूद्रीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय ।
3. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय ।
4. श्री एस० वी० सुब्बा राव, सहचारी (अटैची) वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय ।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला —**उपसचिव** ।

2. समिति के सभापति, श्री अ० कू० सेन की अनुपस्थिति में, नियम 258 (3) के अन्तर्गत श्री एच० एम० सैमुअल को सभापति के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित किया गया ।

3. सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी के दौरान और नौकरी पर न रहते हुए किये गये दुष्कृतिपूर्ण कार्यों के बारे उनके दायित्व के प्रश्न के बारे में विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये लेख पर समिति ने चर्चा की ।

4. विधि मंत्रालय के सचिव ने बताया कि आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये दुष्कृतिपूर्ण कार्य के लिये वे उतने ही उत्तरदायी हैं जितना कि कोई भी साधारण नागरिक । सरकारी कर्मचारियों के कार्य को सांविधिक उपबन्धों के अन्तर्गत संरक्षण दिया जाये और सरकार को उनके दुष्कृतिपूर्ण कार्यों के लिये सभी मामलों में जिम्मेवार न ठहराया जाये । उन्होंने यह भी कहा कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के दोषपूर्ण कार्यों के लिये तब तक जिम्मेवार नहीं है जब तक कि अधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारी को यह कार्य करने के लिये निदेश न दिया हो ।

5. सदस्यों का विचार था कि विधेयक के खण्ड 11 में जिन बहुत सी छूटों का उपबन्ध किया गया है उससे उन नागरिकों के अधिकार निष्प्रभावी हो जायेंगे जिनके विरुद्ध सरकार अथवा सरकारी कर्मचारियों ने दोषपूर्ण कार्य किये हों । उनकी इच्छा थी कि खण्ड 11 के क्षेत्राधिकार को कम कर सरकारी कर्मचारियों के दुष्कृतिपूर्ण कार्यों के कारण सरकार के नागरिकों के प्रति दायित्व का विस्तार किया जाये ।

6. कुछ सदस्यों की इच्छा थी कि खण्ड 11(क) में प्रयुक्त वाक्य 'राज्य का कोई कार्य' स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और राज्य के 'पूर्णप्रभुत्व अधिकार' का प्रयोग करते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों का, जिनके लिये रलिया राम

2. सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि जुलाई, 1968 में हुए समिति के पिछले अधिवेशन में किये गये निर्णय के अनुसरण में, निम्नलिखित विधिवेत्ताओं को विधेयक के उपबन्धों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये आमंत्रित किया गया :

(1) श्री बी० पी० सिन्हा, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ।

(2) श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ।

(3) श्री सी० के० दफ्तरी, भारत के महान्यायवादी ।

(4) श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद् सदस्य और भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी ।

(5) श्री एच० एम० सीरवाई, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ।

(6) श्री के० एल० मिश्र, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ।

(7) श्री डी० नरसरा राजू, आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व महाधिवक्ता ।

(8) श्री जी० आर० एथीराजू नायडू, मैसूर के भूतपूर्व महाधिवक्ता ।

(9) श्री एम० ए० अन्सारी, केरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ।

(10) श्री पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास, अधिवक्ता, नई दिल्ली ।

(11) नागरिक स्वतंत्रता संघ ।

सभापति ने बताया कि आमंत्रणों के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित पांच विधिवेत्ताओं ने समिति के समक्ष उपस्थित होने की सहमति प्रकट की :—

(1) श्री एम० ए० अन्सारी, प्रतिकुलपति, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।

(2) श्री सी० के० दफ्तरी, भारत के महाधिवक्ता ।

(3) श्री के० एल० मिश्र, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ।

(4) श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास, अधिवक्ता, नई दिल्ली ।

(5) श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद् सदस्य ।

3. सभापति ने सदस्यों को आगे सूचित किया कि गृह-कार्य, रेलवे, वित्त और इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालयों ने, जिन्हें समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था, समिति द्वारा निर्धारित किसी तारीख को साक्ष्य देने के लिए समिति के सामने पेश होने वाले अपने प्रतिनिधियों का पहले ही नाम-निर्देशन कर दिया था ।

4. सभापति ने यह भी बताया कि समिति के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे विधेयक के उपबन्धों पर अपनी टिप्पणियां भेजें और समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए अपने महाधिवक्ताओं को भी प्रतिनिधिस्वरूप भेजें । अभी तक केवल तीन राज्य सरकारों अर्थात् बिहार, मैसूर तथा नागालैंड ने ही विधयक पर, जो कि सदस्यों में पहले ही परिचालित किया जा चुका है अपनी टिप्पणियां भेजी हैं । गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र राज्यों ने और दादरा तथा नागर हवेली, गोवा, दमण तथा दीव, लक्कादीव तथा मिनिकोय, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा संघ राज्य-क्षेत्रों ने सूचना दी है कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है । अभी तक किसी राज्य सरकार ने समिति के समक्ष पेश होने के लिए अपने महाधिवक्ता को प्रतिनिधि-स्वरूप भेजना आवश्यक नहीं समझा है

5. सभापति ने आगे बताया कि विधि सदस्यों के कथनानुसार मंत्रालय से प्राप्त निम्नलिखित पत्रों को पहले ही सदस्यों में परिचालित किया जा चुका है :—

(एक) सरकारी कर्मचारियों के कामों का सरकार द्वारा अनुसमर्थन के प्रश्न पर एक टिप्पणी ।

(दो) दुष्कृति के प्रति दायित्व से सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सत्ता की उन्मुक्ति के सिद्धान्त पर एक टिप्पणी ।

(तीन) दुष्कृति के प्रति राज्य के तथा सरकारी अधिकारियों के दायित्व से सम्बन्धित फ्रांसीसी कानून ।

(चार) 'बूरोन बनाम डन्मेन्स' मामले में निर्णय (1847) 2 एक्स० 167 केस

श्री सरदार बहादुर सहारया, सचिव, उच्चतम न्यायालय बार एसोसियेशन, नई दिल्ली, से समिति के समक्ष दिये गये अपने मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में प्राप्त निम्नलिखित ज्ञापन भी सदस्यों में परिचालित किया जा चुका है ।

(एक) प्रस्तावित उपाय के अन्तर्गत जो नीति अपनाई जानी चाहिए उसके बारे में एक ज्ञापन ; और

(दो) एक ज्ञापन जिसमें कतिपय खण्डों की भाषा के बारे में सुझाव दिये गये हैं

6. समिति ने उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित विधिवेत्ताओं के विचार सुनने के लिए आगे 3 और 4 अक्तूबर, 1968 को 16.15 बजे बैठक करने का निश्चय किया और विधेयक के सम्बन्ध में मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सुनने के लिए 5 अक्तूबर 1968 को 10.00 बजे बैठक करने का निश्चय किया।

7. समिति ने यह भी निश्चय किया कि 3 से 5 अक्तूबर, 1968 तक साक्ष्य सुनने के बाद समिति स्थगित हो जाये और फिर विधेयक पर खण्डवार विचार करने तथा अपने प्रतिवेदन का अन्तिम रूप तैयार करने के लिए 24 से 26 अक्तूबर, 1968 तक बैठकें हों।

समिति ने आगे निश्चय किया कि विधेयक में कोई संशोधन हों तो उन्हें सदस्य 15 अक्तूबर, 1968 तक प्रस्तुत कर दें ताकि अगले सत्र से काफी पहले उन्हें सदस्यों में परिचालित किया जा सके।

8. समिति ने अपनी अपरिहार्य अनुपस्थिति में समिति के गत बैठकों की कार्यवाही चलाने के लिए संसद् सदस्य श्री एम० एच० सेम्युअल का धन्यवाद किया।

तत्पश्चात् समिति अगली बैठक 3 अक्तूबर, 1968 को 16.15 बजे करने का निश्चय करके स्थगित हुई।

---

## छः

## छठी बैठक

समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 3 अक्तूबर, 1968 को 16.15 बजे से 17.15 बजे तक हुई।

### उपस्थित

श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी—पीठासीन

### सदस्य

#### लोक-सभा

2. श्री क० अनिरुद्धन
3. श्री रा० रा० सिंह देव
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री आर० एम० हजरनवीस
6. श्री एस० कण्डप्पन
7. श्री बृज भूषण लाल
8. श्री बैज नाथ कुरील
9. श्री श्रीनिवास मिश्र
10. श्री ही० ना० मुकर्जी
11. श्री अमृत नाहाटा
12. श्री के० नारायण राव
13. श्री एम० नारायण रेड्डी
14. श्री मुहम्मद यूनस सलीम
15. श्री अ० त्रि० शर्मा
16. श्रीमती सावित्री श्याम
17. श्री एम० आर० शर्मा
18. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
19. श्री विश्वनारायण शास्त्री

20. श्री टी० एम० सेठ
21. श्री मुद्रिका सिन्हा
22. श्री जी० विश्वनाथन
23. श्री राम सेवक यादव

राज्य–सभा

24. श्री एस० बी० बोबडे
25. श्री राम बहादुर सिंह
26. श्री गुलाम हैदर वलिमुहम्मद मोमिन
27. श्री कृष्ण कान्त
28. श्री एम० पी० शुक्ल
29. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
30. श्री एम० एच० सैमुग्रल
31. श्री चक्रपाणि शुक्ल
32. श्री डाह्या भाई वी० पटेल
33. श्री बाल कृष्ण गुप्त
34. श्री सी० ग्रच्युत मेनन
35. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम

## वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया—सचिव वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय
2. श्री एन० डी० पी० नम्बूदिरीपाद—संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय
3. श्री ग्रार० वी० एस० पेरी शास्त्री—ग्रतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव

2. समिति के सभापति श्री ग्रशोक कुमार सेन की ग्रनुपस्थिति में श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी को नियम 258(3) के ग्रधीन बैठक के लिये सभापति का कार्य करने के लिये चुना गया।

3. सभापति ने सदस्यों को बताया कि समिति ने सर्वश्री एम० ए० ग्रन्सारी सी० के० दफ्तरी तथा पुरुषोतम त्रिकमदास का साक्ष्य सुनना था परन्तु उन्होंने किन्हीं कारणों से समिति के समक्ष पेश होने में, ग्रपनी ग्रसमर्थता की सूचना दी है। ग्रतः उन्हें समिति के समक्ष बृहस्पतिवार, 24 ग्रक्तूबर 1968 को पेश होने के लिने कहा गया है।

संसद सदस्य श्री एम० सी० सीतलवाद, को 4 ग्रक्तूबर, 1968 को 16.15 बजे समिति के समक्ष उपस्थिति होना था। लेकिन उन्होंने भी यह सूचना दी है कि किसी विचार गोष्टी में भाग लेने के लिये उन्हें श्रीनगर जाना है ग्रतः वे उस दिन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। उन्हें 24 ग्रक्तूबर, को 16.30 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होने का ग्रनुरोध किया जा रहा है। ग्रतः समिति ने यह निश्चय किया कि 4 ग्रक्तूबर को कोई कार्यवाही नहीं होगी ग्रौर उस दिन होने वाली बैठक को मन्सूख कर दिया जाये।

सभापति ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ने उस दिन सुबह इलाहाबाद से लोक सभा सचिवालय को टेलीफोन से बताया कि उनके पहले के ग्रनुमान के प्रतिकूल, इलाहवाद के उच्च न्यायालय की बैठक शनिवार, 5 ग्रक्तूबर, 1968 को होगी ग्रौर उन्हें न्यायालय में पड़े हुये कुछ बकाया महत्वपूर्ण मामलों को निपटाना है। ग्रतः वे 5 ग्रक्तूबर, 1968 को समिति के समक्ष पेश नहीं हो सकेंगे। फिर भी वे 25 ग्रक्तूबर, 1968 को समिति के समक्ष पेश होने के लिये सहमत हो गये हैं।

समिति ग्रब भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के विचार 5 ग्रक्तूबर, 1968 को 10 बजे सुनेगी।

4. समिति ने यह निश्चय किया कि उसकी ग्रगली बैठकें 24 ग्रक्तूबर, से 26 ग्रक्तूबर तक होंगी तथा उसने उन बैठकों सम्बन्धी कार्यक्रम का ग्रनुमोदन किया (ग्रनुबन्ध 1)।

सदस्यों ने यह महसूस किया कि चूंकि विधेयक के कानून बन जाने के बाद राज्य सरकारों के दायित्व में काफी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है अतः विधेयक पर और आगे कार्यवाही करने से पहले उनके लिये यह बहुत जरूरी है कि वे इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जान लें। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने के लिये समिति की बैठक कुछ राज्यों की राजधानियों में होनी चाहिये। इस सुझाव का विधि सचिव श्री वी० एन० भाटिया ने समर्थन किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि राज्य सरकार इस विषय पर तभी गम्भीरता से विचार करेगी जब समिति राज्यों में जायेगी। विधि उपमंत्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम, ने कहा कि उक्त सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

6. लोक सभा सचिवालय के उप मंत्री ने समिति को सूचित किया कि विधेयक पर राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित करने के प्रश्न पर पीछे कई अवसरों पर विचार किया गया था और दो बार राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया था कि वे समिति के विचारार्थ अपने विचार भेजें और अपने महाधिवक्ताओं को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कहें। अभी तक केवल तीन राज्य सरकारों ने अर्थात् बिहार, मैसूर और नागालेंड ने विधेयक पर अपनी टिप्पणियां दी हैं जो सदस्यों को परिचालित की जा चुकी हैं। गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र राज्यों ने और दादरा तथा नगर हवेली, गोवा, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप तथा मिनिकाय, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अभी तक किसी राज्य सरकार ने समिति की समक्ष उपस्थित होने के लिये अपने महाधिवक्ता से कहना आवश्यक नहीं समझा।

उप सचिव ने अध्यक्ष के उस 'निर्देश' की ओर समिति का ध्यान दिलाया जिसके अनुसार समिति की बैठकें अध्यक्ष की इजाजत के बिना संसद भवन से बाहर नहीं हो सकती। उसने लोक सभा की नियम समिति के हाल ही के इस फैसले से समिति को अवगत कराया कि संसदीय समितियों की बैठकें दिल्ली से बहार नहीं होनी चाहिएं। जिन कुछ समितियों ने कुछ राज्यों की राजधानियों में बैठकें की उनके हाल ही के अनुभव का उल्लेख करते हुए उप सचिव ने सदस्यों को बताया कि उन राज्य सरकारों द्वारा सदस्यों के निवास आदि की पर्याप्त व्यवस्था न कर सकने के कारण उन समितियों के सदस्यों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ा।

7. समिति ने फैसला किया कि इन परिस्थितियों में दिल्ली से बाहर समवेत होने के सुझाव पर, फैसला करने के बजाय, लोक सभा सचिवालय एक बार फिर उन राज्य सरकारों से, जिन्होंने उसके पहले पत्रों का उत्तर नहीं दिया है अनुरोध करे कि वे विधेयक पर अपने विचार भेजें और यदि आवश्यक हो तो, समिति की अगामी बैठक में उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए अपने महाधिवक्ताओं से कहें।

8. विधि सचिव ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता श्री एच० एम० सीरवाई की भारतीय संविधान पर लिखित पुस्तक में विधेयक के उपबन्धों पर व्यक्त किये गये विचारों की ओर समिति का ध्यान दिलाया, जिन्हें साक्ष्य देने के लिये समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये आमंत्रित किया गया था परन्तु उन्होंने इस प्रयोजन से दिल्ली आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। विधि सचिव ने बताया कि उन विचारों का संविधान के कुछ अनुच्छेदों के संदर्भ में श्री सीरवाई से अग्रेतर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि श्री सीखाई को नियम 272 के अधीन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये 'समन' किया जाये।

कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने फैसला किया कि सब से पहले समिति की ओर से श्री सीखाई से फिर तीव्र अनुरोध किया जाये कि वह शनिवार, 26 अक्तूबर, 1968 को नई दिल्ली में समिति के समक्ष उपस्थित हों ताकि सदस्य उनके विचारों से लाभान्वित हों।

9. समिति साक्ष्य की सुनवाई के लिए शनिवार, 5 अक्तूबर, 1968 तक के लिए स्थगित हुई।

## अनुबन्ध

### सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति

---

### बैठकों का अस्थायी कार्यक्रम

| वार व तारीख | समय | साक्षी का नाम |
|---|---|---|
| 24 अक्तूबर, 1968 | 14.00 बजे | श्री एम ए० अन्सारी, प्रो० चान्सलर, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद। |
| (गुरुवार) | 15.30 बजे | श्री सी० के० दफ्तरी, भारत का महान्यायवादी। |
| | 16.30 बजे | श्री एम० सी० सीतलवाद, एम० पी०। |

| वार व तारीख | समय | साक्षी का नाम |
|---|---|---|
| 25 अक्तूबर, 1968 (शुक्रवार) | 10.00 बजे | श्री के० एल० मिश्र, उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता । |
| 26 अक्तूबर, 1968 (शनिवार) | 10.00 बजे | श्री पुरषोत्तम त्रिकमदास, वरिष्ट अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय । |

---

## सात

## सातवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 5 अक्तूबर, 1968 को 10.00 बजे से 11.00 बजे तक हुई ।

### उपस्थित

श्री ए० के० सेन—सभापति

### सदस्य

#### लोक सभा

2. श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी
3. श्री श्रीचन्द गोयल
4. श्री एस० कंडप्पन
5. श्री बृज भूषण लाल
6. श्री बैज नाथ कुरील
7. श्री श्रीनिवास मिश्र
8. श्री ही० ना० मुकर्जी
9. श्री के० नारायण राव
10. श्री एम० नारायण रेड्डी
11. श्री मुहम्मद यूनस सलीम
12. श्री अ० त्रि० शर्मा
13. श्री एम आर० शर्मा
14. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
15. श्री टी० एम० सेठ
16. श्री मुद्रिका सिन्हा
17. श्री जी० विश्वनाथन

#### राज्य सभा

18. श्री एस० वी० बोबडे
19. श्री राम बहादुर सिंह
20. श्री गुलाम हैदर वलीमुहम्मद मोमिन

21. श्री कृष्ण कान्त
22. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
23. श्री एम० एच० सैमुअल
24. श्री चक्रपाणि शुक्ल
25. श्री एन० के० शेजवालकर
26. श्री बालकृष्ण गुप्त
27. श्री सी० अच्युत मेनन
28. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम

## वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय।
2. श्री एन० डी० पी० नम्बूद्रीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय।
3. श्री सुब्बाराव, सहचारी (अटेशी) वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय ।

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उप-सचिव।**

2. प्रारम्भ में सभापति ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया जिसके द्वारा लोक-सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव के निधन पर शोक प्रकट किया गया :

"यह सभा लोक-सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव के कल प्रातः नई दिल्ली में निधन पर अत्यधिक दुःख प्रकट करती है ।

समिति प्रिविहीन परिवार से हृदय से सहानुभूति प्रकट करती है ।"

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे ।

3. निम्नलिखित साक्षियों ने साक्ष्य दिया :

(1) श्री के० सी० सूद,
सदस्य (इंजीनियरिंग)
रेलवे बोर्ड ।

(2) श्री कस्तूरी रंगन,
निदेशक—सिब्बन्दी,
रेलवे बोर्ड ।

(3) श्री उमा शंकर,
संयुक्त सचिव,
गृह-कार्य मंत्रालय ।

(4) श्री एच० के० कोछड़,
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य मंत्रालय ।

(5) श्री एस० एस० शिरालकर,
अतिरिक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय ।

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

5. इसके पश्चात समिति स्थगित हुई ।

———

## आठ

## आठवीं बैठक

समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 24 अक्तूबर, 1968 को 14.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

### उपस्थित

श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी—**पीठासीन**

### सदस्य

#### लोक-सभा

2. श्री अनिरुद्ध दीपा
3. श्री श्रीचन्द गोयल
4. श्री एस० कण्डप्पन
5. श्री बृज भूषण लाल
6. श्री बैज नाथ कुरील
7. श्री श्रीनिवास मिश्र
8. श्री ही० ना० मुकर्जी
9. श्री मुहम्मद यूनस सलीम
10. श्री अ० वि० शर्मा
11. श्रीमती सावित्री श्याम
12. श्री एम० आर० शर्मा
13. श्री विश्वनारायण शास्त्री
14. श्री टी० एम० सेठ
15. श्री मुद्रिका सिंह
16. श्री राम सेवक यादव

#### राज्य-सभा

17. श्री एस० बी० बोबडे
18. श्री राम बहादुर सिंह
19. श्री गुलाम हैदर बलिमुहम्मद मोमिन
20. श्री कृष्ण कान्त
21. श्री एम० पी० शुक्ल
22. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
23. श्री एम० एच० सैमुअल
24. श्री बी० टी० केम्पराज
25. श्री डाह्याभाई वी० पटेल
26. श्री एन० के० शेजवालकर
27. श्री बाल कृष्ण गुप्त
28. श्री सी० अच्युत मेनन
29. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम

## वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय ।
2. श्री एन० डी० पी० नम्बूदरीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय ।
3. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, वैधानिक उप-परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।
4. श्री एस० वी० सुब्बा राव, अटॅर्नी, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय ।

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उपसचिव ।

2. समिति के सभापति श्री अशोक कुमार सेन की अनुपस्थिति में श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी को नियम 258(3) के अधीन बैठक के सभापति का कार्य करने के लिये चुना गया ।

3. सभापति ने सदस्यों को बताया कि संयुक्त समिति ने 3 अक्तूबर, 1968 को हुई अपनी छठी बैठक में यह इच्छा व्यक्त की थी कि जिन राज्य सरकारों ने लोक सभा सचिवालय के पहले के पत्रों का उत्तर नहीं दिया है उन्हें अपने विचार भेजने को फिर से कहा जाये और यदि वे आवश्यक समझें तो अपने महा अधिवक्ताओं को समिति की आगामी बैठक के समक्ष उपस्थित होने के लिये भेजें । तदनुसार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, असम, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा चण्डीगढ़ और मणिपुर संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को पत्र भेजे गये जिनमें उनसे फिर से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने विचार 16 अक्तूबर, 1968 तक भेजें ।

उक्त पत्र के जवाब में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने महा अधिवक्ता के विचारों सहित अपने विचार भेजे । उसके पत्र में यह नहीं कहा गया है कि क्या उसके महा अधिवक्ता समिति के समक्ष पेश होंगे या नहीं । मध्य प्रदेश सरकार तथा उसके महा अधिवक्ता के विचार सदस्यों में परिचालित किये गये ।

सभापति ने समिति को यह भी बताया कि मद्रास और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने यह सूचना दी है कि विधेयक पर वे अभी विचार कर रहे हैं और उन्हें अपने विचार भजने में काफी समय लग जायेगा ।

सभापति ने यह भी बताया कि समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि महाराष्ट्र के महा अधिवक्ता श्री एच० एम० सीरभाई से 26 अक्तूबर, 1968 को एक बार फिर समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया जाये । तदनुसार, श्री एच० एम० सीरभाई से 26 अक्तूबर, 1968 को 11.00 बजे समिति को मिलने का अनुरोध किया गया । श्री एच० एम० सीरभाई ने अपने दिनांक 8 अक्तूबर, 1968 के पत्र में कहा है कि :

> "जैसा कि मैंने अपने महाराष्ट्र सरकार को भेजे गये पत्र में कहा है मैं साक्ष्य देने के लिये दिल्ली जाने में असमर्थ हूं और मैं दिनांक 26 अक्तूबर या किसी अन्य तिथि को दिल्ली में संयुक्त समिति के समक्ष पेश होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूं ।"

सभापति ने यह भी बताया कि सर्वश्री एम० ए० अन्सारी, एम० सी० सीतलवाद और के० एल० मिश्र ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वे दिनांक 24 और 25 अक्तूबर, 1968 को संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होंगे ।

सर्वश्री सी० के० दफ्तरी और पुरुषोत्तम त्रिकमदास से टेलीफोन पर सम्पर्क किया गया और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि वे दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 को संयुक्त समिति के सामने पेश होंगे ।

4. इसके बाद निम्नलिखित साक्षियों ने साक्ष्य दिया । उनके द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पहले, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर आकृष्ट किया :

1. श्री एम० ए० अन्सारी, प्रो-चान्सलर, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
   (14.00 बजे से 16.00 बजे तक)
2. श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद् सदस्य
   (16.00 बजे से 17.30 बजे तक साक्ष्य असमाप्त)

समिति ने शनिवार, 26 अक्तूबर, 1968 को 16.00 बजे होने वाली अपनी बैठक में श्री एम० सी० सीतलवाद के साक्ष्य को और आगे सुनने का निश्चय किया । साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

इसके बाद समिति की बैठक 25 अक्तूबर, 1968 को फिर बैठने के लिये उठ गई ।

———

## नौ

### नवीं बैठक

समिति की बैठक 25 अक्तूबर, 1968 को 10.00 बजे से 12.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० एच० सैमुअल—पीठासीन (10.30 बजे तक)

श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी—पीठासीन (10.30 बजे से)

सदस्य

लोक सभा

3. श्री अनिरुद्ध दीपा
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री एस० कण्डप्पन
6. श्री बृज भूषण लाल
7. श्री बैज नाथ कुरील
8. श्री श्रीनिवास मिश्र
9. श्री ही० ना० मुकर्जी
10. श्री के० नारायण राव
11. श्री मुहम्मद यूनस सलीम
12. श्री अ० वि० शर्मा
13. श्रीमती सावित्री श्याम
14. श्री एम० आर० शर्मा
15. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
16. श्री विश्वनारायण शास्त्री
17. श्री टी० एम० सेठ
18. श्री मुद्रिका सिन्हा
19. श्री राम सेवक यादव

राज्य सभा

20. श्री एस० बी० बोबडे
21. श्री राम बहादुर सिंह
22. श्री गुलाम हैदर वली मुहम्मद मोमिन
23. श्री कृष्ण कान्त
24. श्री एम० पी० शुक्ल
25. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
26. श्री बी० टी० केम्पराज
27. श्री चक्रपाणि शुक्ल
28. श्री एन० के० शेजवालकर
29. श्री बाल कृष्ण गुप्त
30. श्री अच्युत मेनन
31. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम

## वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, —वैधानिक उप-परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उपसचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति में, संसद् सदस्य श्री एम० एच० सैमुअल को नियम 258 के उपनियम 3 के अधीन, बैठक के लिये सभापति का कार्य करने के लिये चुना गया ।

3. समिति ने निश्चय किया कि उस समय तक जब तक कि वह मद्रास और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से, जिन्होंने कुछ अधिक समय मांगा है, टिप्पणियां प्राप्त नहीं हो जातीं तब तक उस विधेयक पर खण्डवार विचार नहीं करना चाहिए । अतः उसने उनकी टिप्पणियों पर विचार करने के लिये अगले रुप में एक दिन की बैठक करने का निश्चय किया । समिति ने इच्छा व्यक्त की कि इन राज्य सरकारों को टिप्पणी भेजने के लिये स्मरण कराया जाये ।

4. समिति ने महसूस किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि प्रस्तावित विधान देश में इस प्रकार का पहला विधान होगा और इसका केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के दुष्कृतिपूर्ण कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा, अतः बेहतर होगा कि वह इसके विभिन्न पहलुओं पर सविस्तार विचार करे । इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अपनी रिपोर्ट को 31 मार्च, 1968 तक पेश करने के लिए और अधिक समय मांगेगी ।

5. समिति ने श्री अशोक सेन या उनकी अनुपस्थिति में श्री श्रीचन्द गोयल को इस सम्बन्ध में सदन में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया ।

6. इसके बाद समिति ने उत्तर प्रदेश के महा अधिवक्ता श्री के० एल० मिश्र के साक्ष्य को सुनना जारी किया । सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया ।

7. नियम 258 के उपनियम (3) के अधीन समिति की अनुमति से 10.30 बजे कार्यकारी सभापति संसद् सदस्य श्री एम० एच० सैमुअल ने पीठ छोड़ी और संसद् सदस्य श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी पीठासीन हुए ।

साक्ष्य 12.45 बजे तक समाप्त हुआ ।

8. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

9. इसके बाद समिति की बैठक शनिवार, 26 अक्तूबर, 1968 को 10.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

---

## दस

## दसवीं बैठक

समिति की बैठक 26 अक्तूबर, 1968 को 10.00 से 12.40 बजे तक और उसके बाद 16.00 से 17.05 बजे तक हुई ।

### उपस्थित

श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी—पीठासीन (12.40 बजे तक)

श्री श्रीचन्द गोयल—पीठासीन (16.00 बजे के बाद)

### सदस्य

#### लोक-सभा

3. श्री अनिरुद्ध दीपा
4. श्री आर० एम० हजरनवीस
5. श्री बृज भूषण लाल
6. श्री बैज नाथ कुरील
7. श्री श्रीनिवास मिश्र

8. श्री ही० ना० मुकर्जी
9. श्री अमृत नहाटा
10. श्री के० नारायण राव
11. श्री मुहम्मद यूनस सलीम
12. श्री अ० वि० शर्मा
13. श्री एम० आर० शर्मा
14. श्री विश्व नारायण शास्त्री
15. श्री टी० एम० सेठ
16. श्री मुद्रिका सिन्हा
17. श्री जी० विश्वनाथन
18. श्री राम सेवक यादव

राज्य सभा

19. श्री राम बहादुर सिंह
20. श्री गुलाम हैदर वलीमोहम्मद मोमिन
21. श्री कृष्ण कान्त
22. श्री एम० पी० शुक्ल
23. श्री हीरावल्लभ त्रिपाठी
24. श्री बी० टी० केम्पराज
25. श्री चक्रपाणि शुक्ल
26. श्री एन० के० शेजवालकर
27. श्री बालकृष्ण गुप्त
28. श्री सी० अच्युत मेनन
29. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम
30. श्री एम० एच० सैमुअल
31. श्री डाह्याभाई वी० पटेल

## वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, --संयुक्त वैधानिक परामर्शदाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय
2. श्री सुब्बा राव, अटैंरो, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उपसचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति के कारण श्री निर्मल चन्द चटर्जी, संसद् सदस्य, को नियम 258(3) के अन्तर्गत बैठक के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित किया गया ।

3. निम्नलिखित साक्षियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर लिये जाने के बाद उन्होंने अपना साक्ष्य दिया :--

1. श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास,
कनिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय
(10-10 से 11.25 बजे तक)

2. श्री सी० के० दफ्तरी,
   भारत के महान्यायवादी
   (11-26 से 12.40 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया ।

5. समिति मध्याह्न भोजन के लिये 12.40 बजे स्थगित हुई ।

6. समिति मध्याह्न भोजन के पश्चात् 16.00 बजे पुनः समवेत हुई और सभापति की अनुपस्थिति के कारण श्री श्रीचन्द गोयल को 6 नियम 258 के उप-नियम (3) के अनुसार बैठक के सभापति के रूप में चुना गया ।

7. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर श्री एम० सी० सीतलवाद संसद् सदस्य, के विचार आगे सुनने के लिये कार्यवाही आरम्भ की ।

8. साक्ष्य 17.00 बजे तक चलता रहा ।

9. तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

---

## ग्यारह

## ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 11 फरवरी, 1969 को 10.00 बजे से 12.20 बजे तक हुई ।

### उपस्थित

श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी--पीठासीन

### सदस्य

#### लोक-सभा

2. श्री अनिरुद्ध दीपा
3. श्री आर० एम० हज़रनवीस
4. श्री एस० कण्डप्पन
5. श्री श्रीनिवास मिश्र
6. श्रीमती सावित्री श्याम
7. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
8. श्री विश्वनारायण शास्त्री
9. श्री पी० गोविन्द मेनन

#### राज्य सभा

10. श्री एम० बी० बोबड़े
11. श्री गुलाम हैदर वलीमोहम्मद मोमिन
12. श्री वाई आदिनारायण रेड्डी
13. श्री कृष्ण कान्त
14. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
15. श्री एम० एच० सम्युअल
16. श्री बी० टी० केम्पाराज
17. श्री चक्रपाणि शुक्ल
18. श्री डाह्याभाई वी० पटेल
19. श्री एन० के० शेजवालकर
20. श्री बालकृष्ण गुप्त

**वैधानिक परामर्शदाता**

1. श्री एन० डी० पी० नम्बूद्रीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय

2. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, उप-मंत्रणादाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय

**सचिवालय**

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव।

---

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258(3) के अन्तर्गत, सभापति की अनुपस्थिति में श्री निर्मलचंद्र चटर्जी बैठक के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये चुने गये।

2. सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि समिति के निर्णय के अनुसरण में, उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को, जिन्होंने अपने विचार नहीं भेजे, स्मरण कराया गया है कि समिति के विचारार्थ सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 के बारे में अपने विचार भेजें। उन्होंने बताया कि मैसूर, बिहार, मध्य प्रदेश और नागालैंड की सरकारों के विचार पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और सदस्यों को भेजे जा चुके हैं। गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू तथा काश्मीर पंजाब, गोवा, दमन और दीव, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव और मिनीकोय, त्रिपुरा तथा चंडीगढ़ की सरकारों ने सूचित किया है कि उनको विधेयक के बारे में कोई विचार प्रकट नहीं करने हैं। पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मद्रास, केरल, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, आसाम, आन्ध्र प्रदेश, मनिपुर और पांडिचेरी की सरकारों के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

विधि मंत्रालय ने बताया कि विधि आयोग के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया मूल विधेयक भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके विचार जानने के लिये भेजा गया था। तथापि वर्तमान विचाराधीन विधेयक समिति निदेश के अन्तर्गत लोक-सभा सचिवालय द्वारा भेजा गया था। उनका विचार था कि यह समझा जाये कि जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को, जिन्होंने स्मरण कराये जाने के बावजूद अपने विचार नहीं भेजे, विधेयक के उपबन्धों पर कोई आपत्ति नहीं है।

समिति इस सुझाव से भी सहमत हुई कि यदि समिति का विधेयक में सारभूत संशोधन करने का विचार हो तो, समिति द्वारा विधेयक सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन तैयार करने और सभा में पेश करने से पहले, संशोधनों को सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके विचारों के लिये भेजा जाये।

3. इसके पश्चात् समिति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर उसके जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू किये जाने के प्रश्न पर काफी चर्चा की। विधि मंत्री ने बताया कि उपर्युक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद् बिना उस राज्य की सहमति के उस पर विधान लागू नहीं कर सकती।

4. इसके पश्चात् समिति ने खण्डवार विचार आरम्भ किया।

5. **खण्ड 2.** यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

6. **खण्ड 3.**—इस खण्ड पर विचार आरम्भ किया गया परन्तु इस पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

7. **खण्ड 4 से 10.**—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

8. खण्ड 11.—इस खण्ड पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

9. उसके पश्चात् समिति विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिए बुधवार, 12 फरवरी, 1969 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

## बारह

## बारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 1969 को 11.00 बजे से 12.15 बजे तक हुई।

**उपस्थित**

श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी—**पीठासीन**

## सदस्य

### लोक-सभा

2. श्री एस० कण्डप्पन
3. श्री श्रीनिवास मिश्र
4. श्री के० नारायण राव
5. श्री अ० त्रि० शर्मा
6. श्री एन० आर० शर्मा
7. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
8. श्री टी० एम० सेठ
9. श्री पी० गोविन्द मेनन

### राज्य सभा

10. श्री एस० बी० बोबडे
11. श्री गुलाम हैदर वलिमुहम्मद मोमिन
12. श्री वाई० अधिनारायण रेड्डी
13. श्री कृष्ण कान्त
14. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
15. श्री एम० एच० सैमुअल
16. श्री बी० टी० केम्पराज
17. श्री चक्रपाणि शुक्ल
18. श्री डाह्याभाई वी० पटेल
19. श्री एन० के० शेजवालकर
20. श्री बालकृष्ण गुप्त
21. श्री अच्युत मेनन

## वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय।
2. श्री एन० डी० पी० नम्बूद रीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय।
3. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री--अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, वैधानिक विभाग विधि मंत्रालय।

## सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उप सचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258(3) के अधीन श्री निर्मल चंद्र चटर्जी को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुना गया।

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया।

4. खण्ड 3--(दिनांक 11 फरवरी, 1969 के कार्यवृत्त का पैरा 8 देखिये)। निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये।

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 35,
   "और" के स्थान पर "या" पढ़िये।
2. पृष्ठ 3, 13 से 24 तक की पंक्तियां को निकाल दिया जाये।

खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

5. खण्ड 11--(दिनांक 11 फरवरी, 1969 के कार्यवृत्त का पैरा 8 देखिये) । निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

1. पृष्ठ 6, पंक्ति 8-9 के स्थान पर यह पढ़ा जाये--

"(च) शत्रु से व्यापार (आपाती उपबन्धों का चालू रहना) अधिनियम, 1947 या शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई भी कार्य;"

2. पृष्ठ 7, पंक्ति 15-23 के स्थान पर यह पढ़ा जाये--

"(ञ) कोई कार्य जो शांति के भंग को, या लोक प्रशान्ति में विघ्न को या बलवे या दंगे को निवारित करने या दबाने के लिए या लोक सम्पत्ति के विरुद्ध किन्हीं अपराधों को निवारित करने के लिये--

(i) पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा, अथवा

(ii) किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसका यह कर्तव्य है कि वह किसी क्षेत्र या स्थान में शांति और व्यवस्था बनाये रखे या जो किसी क्षेत्र या स्थान के सम्बन्ध में गारद, संतरी, पेट्रोल, पहरा और निगरानी या अन्य ऐसे ही कर्तव्य में लगा हुआ है,

सद्भावपूर्ण किया गया है;"

इस खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

6. **खण्ड 12 और 13** :--इन खण्डों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

7. **खण्ड 1**:--निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, "1967" के स्थान पर "1969" पढ़ा जाये ।

इस खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

8. **अधिनियमन सूत्र**--निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में--

"अट्ठारहवें" के स्थान पर "बीसवें" पढ़ा जाये ।

अधिनियमन सूत्र को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

9. **पूरा नाम**--विस्तृत नाम बिना संशोधन के स्वीकार किया गया ।

10. समिति ने पुनर्विचार करने पर यह निश्चय किया कि उसके द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को राज्य सरकारों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों में परिचालित करना आवश्यक नहीं है ।

11. वैधानिक परामर्शदाता को प्रत्यक्ष त्रुटियों को ठीक करने और विधेयक में आनुषंगिक और आलेखन प्रकार के संशोधन करने तथा उसकी, संशोधित रूप में, एक साक्ष्यंकित प्रति शुक्रवार, 28 फरवरी, 1969 तक पेश करने का अधिकार दिया गया ।

12. समिति ने निश्चय किया कि उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य को छापा जाये तथा दोनों सदनों के पटल पर रखा जाये ।

13. समिति ने यह भी निश्चय किया कि विभिन्न संस्थाओं, निकायों, संगठनों सरकारी विभागों आदि द्वारा भेजे गये ज्ञापनों को दोनों सदनों की सभा-पटल पर रखा जाये तथा समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त, उनकी एक प्रति सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद् के पुस्तकालय में रखी जाये ।

14. इसके बाद सभापति ने समिति का ध्यान विमत-टिप्पण सम्बन्धी प्रक्रिया नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 87 के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया ।

15. इस के बाद समिति अपनी रिपोर्ट के प्रारूप पर विचार करने के लिये शुक्रवार 7 मार्च, 1969 को 15.30 बजे बैठने का निश्चय किया ।

16. समिति ने, उसके विमर्श के दौरान विधि मंत्रालय के सचिव, वैधानिक परामर्शदाता तथा अन्य अधिकारियों ने उसे जो सहयोग तथा विधि सम्बन्धी सलाह दी उसकी प्रसंशा का रिकार्ड किया ।

17. समिति ने कार्यकारी सभापति श्री नि० चं० चटर्जी को सभापति की अनुपस्थिति में समिति की कार्यवाही का बड़ी योग्यता से संचालन करने तथा विधेयक पर उसके विचार-विमर्श के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देने के लिये धन्यवाद दिया तथा उसका रिकार्ड रखा ।

## तेरह

## तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 7 मार्च, 1969 को 15–30 से 16–15 बजे तक हुई।

### उपस्थित

श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी—**पीठासीन**

### सदस्य

#### लोक-सभा

2. श्री श्रीचन्द गोयल
3. श्री एस० कण्डप्पन
4. श्री बैज नाथ कुरील
5. श्री ही० ना० मुकर्जी
6. श्री के० नारायण राव
7. श्री एम० आर० शर्मा
8. श्री मुद्रिका सिन्हा
9. श्री पी० गोविन्द मेनन

#### राज्य सभा

10. श्री एस० बी० बोबडे
11. श्री गुलाम हैदर वलीमोहम्मद मोमिन
12. श्री एम० पी० शुक्ल
13. श्री एम० एच० सैमुअल
14. श्री डाह्याभाई वी० पटेल
15. श्री सी० अच्युत मेनन
16. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम्

### वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री एन० डी० पी० नम्बूदरी पाद, **संयुक्त वैसचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय :**
2. श्री आर० वी० एस० पैरी-शास्त्री, **संयुक्त वैधानिक परामर्शदाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय ।**
3. श्री जी० एन० सक्सेना, **सहायक प्रारूपकार राजकीय भाषा वैधानिक आयोग, विधि मंत्रालय ।**

### सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—**उप-सचिव**

2. सभापति की अनुपस्थिति के कारण, निर्मल चन्द्र चटर्जी को प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258 (3) के अन्तर्गत बैठक के सभापति के रूप में चुना गया।

3. समिति ने संशोधित रूप में विधेयक पर पहले विचार किया और फिर उसे स्वीकृत किया।

4. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकृति दी। परन्तु विधि मंत्री विधेयक में आये 'और' के स्थान पर 'अथवा' शब्द रखने के लिए खण्ड 3(क) (दो) के प्रस्तावित संशोधन से सहमत नहीं हुए।

5. इसके पश्चात् समिति ने निम्नलिखित निश्चय किये :—

(एक) विमिति टिप्पणियां 21 मार्च, 1969 तक भेज दी जायें ।

(दो) श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी को प्राधिकार दिया गया कि वह प्रतिवेदन को और साक्ष्य तथा ज्ञापन की एक प्रति भी सभापति के अनुपस्थित होने पर, 25 मार्च, 1969 को सभा में पेश करें ।

साक्ष्य तथा ज्ञापन की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर भी रखी जाये ।

(तीन) श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी और उनकी अनुपस्थिति में श्री ही० ना० मुकर्जी को प्राधिकार दिया गया कि वह लोकसभा में प्रतिवेदन पेश करें और साक्ष्य तथा ज्ञापन की प्रति सभा का पटल पर रखें ।

(चार) श्री एम० एच० सैमुअल और उनकी अनुपस्थिति में श्री डाह्याभाई वी० पटेल को प्रतिवेदन, साक्ष्य तथा ज्ञापन की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए नामनिर्देशित किया गया ।

6. समिति ने विधेयक पर विचार करने के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान सभापति श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी द्वारा किये गये उपयोगी मार्ग-निर्देशन के लिए उनका धन्यवाद किया ।

7. श्री एम० एच० सैमुअल ने सभापति की अनुपस्थिति में बैठक की कार्यवाही जिस योग्यता के साथ चलाई समिति उसकी सराहना भी लिखित रूप में की ।

8. तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

———

GMGIPND—RS II—7(B) LS—27-6- 69—500.